पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

क्रमांक/5569/अका./2011 रायपुर, दिनांक 12 दिसंबर, 2011

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक मंगलवार, दिनांक 29.11.2011 को अपराह्न 3.00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :

1. डॉ.एस.के.पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2. श्री सी.के. खेतान	–	सदस्य
3. प्रो. ए.के. पति	–	सदस्य
4. प्रो. आभा रूपेन्द पाल	–	सदस्य
5. प्रो. ज्योति रवि तिवारी	–	सदस्य
6. प्रो. शैलेन्द्र कुमार सिंह	–	सदस्य
7. प्रो. बी.के. शर्मा	–	सदस्य
8. डॉ. जगदीश गंगवानी	–	सदस्य
9. डॉ. आर.बालासुब्रमन्यम	–	सदस्य
10. डॉ. दीपक कारकून	–	सदस्य
11. डॉ. अरविंद गिरोलकर	–	सदस्य
12. श्री एस.के.चक्रवर्ती	–	सदस्य
13. डॉ. जी.बी.गुप्ता	–	सदस्य
14. श्री ललित सुरजन	–	सदस्य
15. श्री अशोक लोहिया	–	सदस्य
16. डॉ. उज्जवल पाटनी	–	सदस्य
17. डॉ. रवि भोई	–	सदस्य
18. श्री देवजी भाई पटेल	–	सदस्य
19. श्री रामजी भारती	–	सदस्य
20. श्री कुलदीप सिंह जुनेजा	–	सदस्य
21. डॉ. शिवकुमार डहरिया	–	सदस्य
22. श्री के.के.चन्द्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

कार्यसूची पर चर्चा प्रारंभ होने के पूर्व कुलपति ने समस्त सदस्यों का स्वागत किया। इस बैठक में श्री सी.के.खेतान, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग विशेष रूप से उपस्थित हुए, जिनका समस्त सदस्यों ने स्वागत किया।

कार्यवृत्त :

विषय क्रमांक–1

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 21.10.2011 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय :

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 21.10.2011 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

विषय कमांक–2

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 21.10.2011 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 21.10.2011 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।

पालन प्रतिवेदन के संबंध में यह भी निर्णय लिया गया कि:

(i) पिछले एक वर्ष के अंतर्गत आयोजित कार्यपरिषद की निर्णयों में से जिन बिंदुओं पर अभी भी कार्यवाही करना शेष है, उससे कार्यपरिषद को अवगत कराया जाय।

(ii) कर्मचारियों को पूर्व में प्रदान किये गये अग्रिम की जानकारी प्रस्तुत किया जावे। जिन कर्मचारियों को प्रदान किए गए अग्रिम की वसूली की जा रही है, वे कितने किश्तों में की जा रही है, एवं कितनी राशि की वसूली हो चुकी है तथा उनको प्रदान किए गए अग्रिम के विरूद्ध कितनी राशि वसूल किया जाना शेष है, की जानकारी आगामी कार्यपरिषद में प्रस्तुत किया जाय।

(iii) विश्वविद्यालय द्वारा निर्माणाधीन प्रत्येक भवनों के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाय।

(iv) यांत्रिकी विभाग के प्रत्येक अधिकारियों द्वारा तीन वर्षों में किए गए कार्यों की बिंदुवार जानकारी प्रस्तुत किया जावे।

विषय कमांक–3

राशि रु. 1,13,61,683.00 (रुपये एक करोड़ तेरह लाख इकसठ हजार छः सौ तिरासी मात्र) की पुस्तकों के कय के लिए प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय :

पुस्तकों के कय के लिए राशि रुपए 1,13,61,683.00 की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया कि **e-books** सीधे प्रकाशक या अधिकृत प्रतिनिधि से कय करने के संबंध में पूरी प्रकिया एवं इसकी व्यापक उपयोगिता संबंधी बिंदुओं का जिक करते हुए विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया जाय। इस संबंध में समिति के गठन हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

विषय कमांक–4

ग्रंथालय समिति में कार्यपरिषद् सदस्यों में से एक सदस्य की नियुक्ति पर विचार करना।

निर्णय :

ग्रंथालय से संबंधित रेगुलेशन कमांक 29(1) (**iii**) के अंतर्गत ग्रंथालय समिति में डॉ. आर. बालासुब्रमन्यम, (कार्यपरिषद सदस्य के नाम का अनुमोदन किया गया।

विषय कमांक–5

विश्वविद्यालय के सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :

विश्वविद्यालय के सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का बंद लिफाफा खोला गया तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि निविदा पुनः जारी किया जाय। निविदा में श्रम आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर एवं अन्य टैक्स एवं अन्य बिंदुओं (जो आवश्यक हो) को शामिल किया जावे के मापदंड का भी उल्लेख हो। यह कार्य तीन माह के अंतर्गत पूरा कर लिया जाय तथा वर्तमान में जो सुरक्षा एजेंसी के द्वारा कार्य कराया जा रहा है, उसकी सेवाएं तीन माह की वृद्धि करने हेतु अनुमोदन किया गया।

विषय कमांक–6

सत्र 2011–12 के लिए परीक्षा आवेदन फार्म के मुद्रण के पश्चात् प्राप्त देयक रु.35,22,500.00 की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय :

सत्र 2011–12 के लिए परीक्षा आवेदन फार्म के मुद्रण के पश्चात् प्राप्त देयक रु. 35,22,500.00 के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई। चूंकि परीक्षा आवेदन फार्म संबंधित महाविद्यालय के माध्यम से जमा करने की प्रकिया जारी है, अतः संबंधित फर्म को कार्यालय द्वारा 10 प्रतिशत राशि रोककर भुगतान करने का अनुमोदन किया गया।

विषय कमांक–7

शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के पश्चात् वार्षिक वेतनवृद्धि प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय :

शिक्षकों के परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय के याचिका कमांक 1330/2004 आदेश दिनांक 24.06.2004 एवं 2729/2004 आदेश दिनांक 17.03.2005 के निर्णय के अधीन निम्नलिखित शिक्षकों को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखत परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने की तिथि से वार्षिक वेतनवृद्धि दिए जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

कमांक	नाम एवं पद	पदभार ग्रहण तिथि	परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने की तिथि
1	डॉ.शिवकांत प्रसाद, प्रोफेसर	22.10.2009	22.10.2011
2	डॉ.दिनेशनंदनी परिहार, एसोसिएट प्रोफेसर	14.10.2009	14.10.2011
3	डॉ.(श्रीमती) प्रीति के सुरेश, एसोसिएट प्रोफेसर	27.11.2008	27.11.2010
4	डॉ. संजय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर	29.10.2009	29.10.2011
5	कु.सुषमा जायसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर	27.10.2009	27.10.2011

विषय क्रमांक–8

डी.लिट्. / डी.एस–सी. पाठ्यक्रम, पी–एच.डी. शोध ग्रंथ मूल्यांकन एवं शोध केन्द्र की स्थापना हेतु शुल्क वृद्धि पर विचार करना।

निर्णय :

डी.लिट्. / डी.एस–सी. पाठ्यक्रम, पी–एच.डी. शोध ग्रंथ मूल्यांकन एवं शोध केन्द्र के संबंध में प्रस्तावित शुल्क वृद्धि में आंशिक संशोधन के साथ अनुमोदन किया गया, जो निम्नानुसार है –

क्र.	पाठ्यक्रम	वर्तमान शुल्क	प्रस्तावित शुल्क
1	डी.लिट्. / डी.एस–सी. पंजीयन शुल्क	2000.00	5000.00
2	डी.लि.ट्. / डी.एस–सी. शोधकेन्द्र ग्रंथालय शुल्क	150.00	600.00
3	शोध केन्द्र (ग्रंथालय अवधान राशि)	500.00	1000.00
4	शोध केन्द्र ग्रंथालय परिचय पत्र	10.00	–
5	शोध केन्द्र (प्रयोगशाला)	600.00	2000.00
6	शोध केन्द्र प्रयोगशाला अवधान राशि	500.00	1000.00
7	समय वृद्धि शुल्क	500.00	2000.00
8	शोध ग्रंथ मूल्यांकन शुल्क	3000.00	10000.00
9	शोध ग्रंथ द्वितीय परीक्षण शुल्क	800.00	1600.00
10	द्वितीय मौखिकी शुल्क	400.00	800.00
11	परीक्षक प्रतिवेदन शुल्क	150.00	300.00

(2)

क्र.	पाठ्यक्रम	वर्तमान शुल्क	प्रस्तावित शुल्क
1	पी–एच.डी. शोध ग्रंथ मूल्यांकन शुल्क	3000.00	5000.00

(3)

क्र.	पाठ्यक्रम	वर्तमान शुल्क	प्रस्तावित शुल्क
1	शोध केन्द्र की स्थापना हेतु आवेदन शुल्क	3000.00	5000.00

विषय क्रमांक–9

क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 26.08.2011 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय :

क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 26.08.2011 के कार्यवृत्त को निम्नानुसार आंशिक संशोधन के साथ अनुमोदन किया गया–

(i) क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 26.8.2011 के विषय सूची क्रमांक 02 पर निर्णय लिया गया कि छात्रों से शारीरिक शिक्षा शुल्क कालेज के माध्यम से रू. 150 जमा करायी जावे, जिसमें से महाविद्यालय विश्वविद्यालय में रू.75 जमा करेगा।

विषय क्रमांक–10

श्री बी.पी.भंवर, सहायक यंत्री, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को यंत्री के पद पर सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर प्रतिनियुक्ति पर जाने हेतु उनके आवेदन दिनांक 01.10.2011 को अग्रेषित किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय :

श्री बी.पी.भंवर, सहायक यंत्री, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर प्रतिनियुक्ति पर जाने हेतु उनके आवेदन दिनांक 01.10.2011 को अग्रेषित किए जाने का अनुमोदन किया गया।

ाय क्रमांक 11

कर्मचारियों की मांग के संबंध में कार्यपरिषद सदस्यों की समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन(सीलबंद लिफाफा) विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :

कर्मचारियों की मांग के संबंध में कार्यपरिषद सदस्यों की समिति द्वारा किए गए निम्नलिखित अनुशंसा का अनुमोदन किया गया–

(अ) दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के प्रकरण के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर मानवीय आधार पर उनकी वर्तमान शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नियमित किए जाने का अनुरोध करने का अनुशंसा की जाती है।

(ब) विश्वविद्यालय में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षण शुल्क में प्रतिपूर्ति की राशि वर्तमान में वृद्धि कर रुपये 4000.00 प्रतिवर्ष किये जाने की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

(स) विश्वविद्यालय में निलंबित/अनिवार्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में न्यायालय में मामला लंबित होने के कारण कोई निर्णय नहीं लिया गया।

(द) कर्मचारियों के हड़ताल एवं एरियर्स के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिया गया–

(i) हड़ताल अवधि के वेतन का निराकरण **"no work no pay"** के आधार पर की जावे।

(ii) कर्मचारियों को छठवां वेतनमान प्रदान करने की अनुशंसा कार्यपरिषद द्वारा की गयी और राज्य शासन से इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए भी अनुशंसा की गयी। यदि राज्य शासन से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त होता है तो एरियर की राशि का भुगतान विश्वविद्यालय 24 किश्तों में प्रत्येक माह के वेतन के साथ करे, ऐसा निर्णय लिया गया।

(iii) आगामी दीक्षांत–समारोह एवं परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन को सहयोग न करने पर, अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

ूरक विषयसूची–

ाय कमांक–1

छत्तीसगढ़ राजपत्र असाधारण कमांक 165 रायपुर मंगलवार दिनांक 15 जून 2010 (24 जुलाई, 2010) में प्रकाशित छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय संशोधित अधिनियम 2010 अंगीकृत करने के संबंध में विचार करना।

र्णय :

छत्तीसगढ़ राजपत्र असाधारण कमांक 165 रायपुर मंगलवार दिनांक 15 जून 2010 (24 जुलाई, 2010) में प्रकाशित छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2010 अंगीकृत किया गया। तद्नुसार छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन किया जाय।

ाय क्रमांक–2

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) कमांक 162 रायपुर गुरुवार दिनांक 05 मई, 2011 में प्रकाशित छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय संशोधित अधिनियम 2011 करने के संबंध में ।

र्णय : छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) कमांक 162 रायपुर गुरुवार दिनांक 05 मई 2011 में प्रकाशित छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2011 अंगीकृत किया गया। तद्नुसार छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन किया जाय।

विषय कमांक--3

दिनांक 07.02.2011 से 21.11.2011 तक विभिन्न विषयों में कुल 81 शोधार्थियों को पी--एच.डी उपाधि प्रदान करने हेतु जारी की गई अधिसूचना की अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय :

दिनांक 07.02.2011 से 21.11.2011 तक विभिन्न विषयों में कुल 81 शोधार्थियों को पी–एच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु जारी किए गए अधिसूचना का अनुमोदन किया गया।

विषय कमांक–4

वार्षिक परीक्षा 2012 के लिए परीक्षा केन्द्र की सूची के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय :

वार्षिक परीक्षा 2012 के लिए प्रस्तावित परीक्षा 120 परीक्षा केन्द्रों तथा बी.एड., एम.एड., बी.पी. एड., एम.पी.एड. की परीक्षा के लिए 26 परीक्षा केन्द्र का अनुमोदन किया गया।

विषय कमांक–5

सत्र 2011–12 के लिए छात्रवृत्ति चयन समिति के गठन पर विचार करना।

निर्णय :

सत्र 2011–12 के लिए छात्रवृत्ति चयन समिति का गठन अध्यादेश 91(1)(B) कंडिका II के अंतर्गत नामनिर्देशित करने के लिए कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

विषय कमांक–6

कीड़ा समिति की बैठक दिनांक 08.11.2011 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय :

कीड़ा समिति बैठक दिनांक 08.11.2011 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

विषय कमांक–7

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.11.2011 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय :

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद के स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.11.2011 के कार्यवृत्त का अनुमोदन निम्नलिखित निर्णय के साथ किया गया :

(i) विद्यापरिषद के स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.11.2011 के विषयसूची कमांक 4 भिलाई कॉलेज ऑफ इंफर्मेशन टेक्नालॉजी, नेहरूनगर चौक, भिलाई के द्वारा पी.जी.डी. सी.ए. 30 एवं डी.सी.ए. 27 सीट में विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना नियमित प्रवेश देने संबंधी प्रकरण पर संबंधित महाविद्यालय को आगामी वर्ष से उनके द्वारा संचालित पाठ्यकमों के प्रथम वर्ष में प्रतिबंध लगाया जाय।

(ii) चूंकि महाविद्यालय द्वारा परिनियम 27 का उल्लंघन किया गया है, अतः अर्थदण्ड रुपये 2,00,000.00 जमा करने हेतु अनुमोदन किया गया।

(iii) बिना अनुमति प्रवेश प्राप्त छात्र–छात्राओं को परीक्षा में सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान नहीं की जावे।

(iv) अन्य समान प्रकरणों पर विद्यापरिषद की स्थायी समिति के विषयसूची क्रमांक 4 में हुए निर्णयानुसार कार्यवाही किया जावे।

(v) विद्यापरिषद के स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.10.2011 में अध्यक्ष की अनुमति से विषयसूची क्रमांक 1, बी.ए.एल.एल.बी. पाठ्यक्रम संबंधी अध्यादेश 179 में आंशिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन के लिए कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय :

1. कुलपति जी ने कार्यपरिषद के सभी सदस्यों को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय का अठारहवां दीक्षांत–समारोह के लिए डॉ. टी. रामासामी, सचिव, भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई–दिल्ली ने मुख्य आतिथ्य हेतु स्वीकृति प्रदान की है। डॉ.टी.रामासामी सचिव का पदभार वर्ष 2006 में संभालने के पहले 10 वर्ष से अधिक समय तक सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, चेन्नई के डायरेक्टर रहे हैं। डॉ. रामासामी का शोध महत्वपूर्ण पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशन के अलावा व्यावसायिक दृष्टिकोण से अत्यंत उच्चकोटि के पैटेंट भी उनके नाम हैं। मूलभूत विज्ञान और व्यावहारिक विज्ञान के कई क्षेत्रों में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा है, विशेषकररसायन विज्ञान में उन्हें 1993 में भारत के वैज्ञानिकों के लिए स्थापित उच्चकोटि का पुरुस्कार शांतिस्वरूप भट्नागर पुरुस्कार मिला और देशभर के जितने भी विज्ञान अकादमियां हैं, के सदस्य होने के साथ–साथ **Third World Academy of Sciences** के **Fellow** चुने गए, और 2001 में भारत सरकार की ओर से उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से विभूषित किया गया। ऐसे प्रतिभा के धनी डॉ.टी.रामासामी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में बहुत से नए परियोजनाओं को प्रस्तुत किए, जिससे विज्ञान के क्षेत्र में शोध को प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अलावा स्कुली छात्रों में विज्ञान के प्रति अभिरूचि पैदा करने के लिए एक अनूठा पहल उनके द्वारा किया गया, जो **"INSPIRE"** के नाम से जाना जाता है। इस प्रयोग के माध्यम से देशभर में बहुत सारे छात्रों को पढ़ाई और शोध के लिए भी छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है।

अतः कार्यपरिषद ने इसे सर्वसम्मति से अनुमोदन करते हुए यह विचार व्यक्त किया कि यह विश्वविद्यालय के साथ–साथ छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। अठारहवां दीक्षांत–समारोह में अतिरिक्त परिनियम–1 में उल्लेखित प्रावधान के अतिरिक्त सर्वश्री रमेश बैस, पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं सांसद, रायपुर; श्री धरमलाल कौशिक, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा; श्री बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन; श्री राजेश मूणत, मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन; श्री पुन्नूलाल मोहिले, मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन; श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा; एवं डॉ.(श्रीमती) किरणमयी नायक, महापौर, रायपुर को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई।

(डॉ.एस.के.पाण्डेय)
अध्यक्ष

(के.के.चन्द्राकर)
सचिव

पृ. क्रमांक 5570/अका./का.प./2011 रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2011

प्रतिलिपि :–

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय,दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर।
3. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
4. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
5. वित्त अधिकारी/प्रभारी अंकेक्षण,
6. समस्त विभागीय अधिकारी,
7. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

12.12
उपकुलसचिव(अकादमिक)